अध्याय–IV
अवसर बढ़े आगे पढ़े के अन्तर्गत स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों की कार्यपद्धति

अध्याय–IV

विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

4 अवसर बढ़े आगे पढ़े के अन्तर्गत स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों की कार्यपद्धति

4.1 परिचय

''अवसर बढ़े आगे पढ़े'' (ए.बी.ए.पी.) बिहार सरकार (बि.स.) द्वारा घोषित (दिसम्बर 2015) सुशासन कार्यक्रम (2015–20) के अन्तर्गत *सात निश्चय* में से एक है। इसे राज्य में उच्चतर, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया ताकि आर्थिक एवं सामाजिक तरक्की में युवाओं के योगदान को सुगम किया जा सके। ए.बी.ए.पी. के तहत (i) स्वास्थ्य, (ii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और (iii) श्रम संसाधन विभागों के अन्तर्गत नौ[32] प्रकार के संस्थानों को स्थापित किया जाना था। लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (एस. एण्ड टी.) के अंतर्गत संस्थानों का चयन किया गया।

4.1.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य आकलन और जाँच करना था कि क्याः–

- संस्थानों की स्थापना एवं संचालन हेतु योजना के कार्यान्वयन की आयोजना सुदृढ़ थी एवं प्रभावी रूप से अमल में लाई गई थी;
- निधि प्रावधान पर्याप्त थी और इसका उपयोग दक्ष था;
- कार्यशाला उपकरण आदि सहित आधारभूत संरचना, और मानव बल, पर्याप्त प्रभावी एवं निर्धारित मानदंडों के अनुरूप थे और;
- अनुश्रवण तंत्र पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से संचालित थी।

4.1.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये थे :–

- बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011।
- समय–समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.), भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड।
- बिहार सरकार तथा एस. एण्ड टी. विभाग द्वारा निर्गत आदेश, परिपत्र, दिशा–निर्देश इत्यादि।

4.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र, नमूना और कार्यप्रणाली

2016 से 2021 की अवधि को आवृत करते हुए सितम्बर 2020 से मार्च 2021 के दौरान विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई। मुख्यालय स्तर पर प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्राचार्य (अभियंत्रण महाविद्यालय एवं

---

[32] ***स्वास्थ्य विभाग*** *(i) प्रत्येक जिला में एक जी.एन.एम. स्कूल (ii) प्रत्येक जिला में एक पारामेडिकल संस्थान (iii) प्रत्येक जिला के सभी चिकित्सा महाविद्यालय में एक नर्सिंग महाविद्यालय में एक नर्सिंग महाविद्यालय (iv) प्रत्येक अनुमंडल में एक ए.एन.एम. स्कूल (v) राज्य में पाँच और नए चिकित्सा महाविद्यालय।* ***विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी***– *(vi) प्रत्येक जिला में एक पॉलिटेक्निक संस्थान (vii) प्रत्येक जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय।* ***श्रम संसाधन विभाग***– *(viii) प्रत्येक जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और (ix) प्रत्येक अनुमंडल में एक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।*

पॉलिटेक्निक संस्थान) के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना–जाँच की गई। 31 अभियंत्रण महाविद्यालयों में से छः[33] और 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों में से तीन[34] का चयन स्तरीकृत नमूना विधि से किया गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली दस्तावेज विश्लेषण, लेखापरीक्षा पृच्छाओं का जवाब, प्रश्नावली के जरिए सूचना का संग्रहण, प्रपत्र इत्यादि से बना है।

4.2 योजना एवं वित्तीय प्रबंधन

4.2.1 संस्थानों की स्थापना के लिए योजना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस. एण्ड टी.) विभाग सभी 38 जिलों में प्रत्येक एक अभियंत्रण महाविद्यालय और एक पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी था। सात जिलों में सात अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 23 जिलों में 29 पॉलिटेक्निक संस्थान पहले से ही चल रहे थे। बि.स. ने तदनुसार सभी जिलों में एक अभियंत्रण महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्थान को सुनिश्चित करने के लिए ₹3,015.96 करोड़ की लागत से 31 अभियंत्रण महाविद्यालयों (25 नये एवं छह पूर्व स्वीकृत) एवं ₹841.10 करोड़ की लागत से 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों (11 नये एवं चार पूर्व स्वीकृत) की स्थापना हेतु योजना स्वीकृत किया (फरवरी 2016)। भवनों का निर्माण तथा संस्थानों की स्थापना एवं शैक्षणिक सत्र की शुरूआत 2016–21 की अवधि के दौरान पूरा किया जाना था। इस प्रकार, राज्य में 38 अभियंत्रण महाविद्यालयों और 44 पॉलिटेक्निक संस्थानों की कुल संख्या होने जा रहा था।

4.2.2 वित्तीय प्रबंधन

बि.स. ने 46 अभियंत्रण महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना हेतु ₹3,857.06 करोड़ स्वीकृत किया (फरवरी 2016)। योजना के अंतर्गत, भवन निर्माण के लिए निधि को ''मांग संख्या 3 मुख्य शीर्ष 4202'' के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग (बी.सी.डी.) को प्रावधानित किया गया और भूमि का अधिग्रहण, मशीन व उपकरण, फर्नीचर इत्यादि के क्रय हेतु निधि के लिए ''मांग संख्या 43 मुख्य शीर्ष 4202'' के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को प्रावधानित किया गया।

2016–21 के दौरान योजना की वित्तीय स्थिति (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय को छोड़कर) **तालिका 4.1** में दर्शाई गई है :–

तालिका सं.–4.1
योजना की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड में)

वर्ष	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण बजट प्रावधान का *प्रतिशत*	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण (बजट प्रावधान का *प्रतिशत*)
	माँग संख्या 43, एस. एण्ड टी. विभाग				माँग संख्या 03, बी.सी.डी. विभाग			
1	2	3	4	5 (2-4)	6	7	8	9 (6-8)
2016-17	100.00	65.01	55.83	44.17 (44)	500.00	102.65	99.38	400.62 (80)
2017-18	87.45	32.33	25.87	61.58 (70)	305.00	271.47	233.60	71.40 (23)
2018-19	82.50	56.41	47.50	35.00 (42)	575.00	546.79	518.78	56.22 (10)
2019-20	88.50	55.93	41.56	46.94 (53)	665.00	654.68	641.94	23.06 (03)
2020-21	63.06	59.88	56.88	6.18 (10)	610.00	602.23	590.17	19.83 (03)
कुल	**421.51**	**269.54**	**227.64**	**193.88 (46)**	**2,655.00**	**2,177.82**	**2,083.87**	**571.13 (22)**

(स्रोतः–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

[33] ***अभियंत्रण महाविद्यालय***– *बख्तियारपुर, बेगूसराय, बक्सर, पूर्णिया, रोहतास, एवं वैशाली।*

[34] ***पॉलिटेक्निक संस्थान***– *जहानाबाद, समस्तीपुर एवं पश्चिम चम्पारण।*

उपरोक्त **तालिका** से देखा जाता है कि कुल बजट प्रावधान का 46 और 22 *प्रतिशत* वर्ष 2016–21 के दौरान क्रमशः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भवन निर्माण विभाग द्वारा अभ्यर्पण किया गया था। इसका कारण भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, भवनों का विलंबित निर्माण था परिणामस्वरूप संस्थानों की स्थापना/कार्यसंचालन में विलंब था। यहाँ उल्लेख करना जरूरी है कि योजना अवधि मार्च 2021 तक थी, लेकिन 46 में से 18 भवनों का निर्माण निधियों के प्रावधान के बावजूद पूरा नहीं हुआ था।

4.2.3 वित्तीय प्रबंधन में विसंगतियाँ–

लेखापरीक्षा के दौरान, योजना के वित्तीय प्रबंधन में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गईः–

➢ निधियों की अधिक स्वीकृति

विभाग के अभिलेखों की नमूना–जाँच में उद्घाटित हुआ (अक्टूबर 2020) कि वर्ष 2016–21 के दौरान 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना हेतु ₹84.00 करोड़ (मार्च 2016) की अधिक स्वीकृति थी। ₹3.50 करोड़ की एक राशि प्रतिवर्ष प्रति संस्थान आवर्त्ती व्यय हेतु स्वीकृत किया गया था। यह राशि ₹192.50 करोड़ होनी चाहिए थी किन्तु गलत गणना ₹276.50 करोड़ के रूप में की गई, परिणामस्वरूप ₹84.00 करोड़ की अधिक स्वीकृति हुई। ***(परिशिष्ट 4.1)***

➢ जी.एस.टी. के तहत टी.डी.एस. की कटौती नहीं किया जाना

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 (1) और बिहार वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 कर योग्य वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान से दो *प्रतिशत* की दर से कर की कटौती का प्रावधान करता है, जहाँ आपूर्ति का कुल मूल्य दो लाख पचास हजार रूपये से अधिक होता हैं।

विभाग के अभिलेखों के नमूना–जाँच में उद्घाटित हुआ (अक्टूबर 2020) कि 12 अभियंत्रण महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निक संस्थानों[35] के लिए पूर्वनिर्मित पोर्टेबल केबिनों (कर योग्य उत्पाद) की आपूर्ति की तरफ बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (बी.पी.बी.सी.सी.) को ₹16.20 करोड़ (मार्च 2019) का भुगतान करते समय, ₹32.40 लाख की राशि की टी.डी.एस. कटौती नहीं की गई। आगे, 19 अभियंत्रण महाविद्यालयों[36] के लिए कम्प्यूटर (कर योग्य उत्पाद) की आपूर्त्ति के विरूद्ध तरफ बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (बेल्ट्रॉन) को ₹8.15 करोड़ (जुलाई 2019) का भुगतान करते समय ₹16.30 लाख की टी.डी.एस. राशि की कटौती नहीं की गई।

➢ वैट के टी.डी.एस. की गैर–कटौती

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 40 (I) प्रावधान करता है कि करयोग्य उत्पाद की बिक्री/आपूर्ति के विरूद्ध भुगतान के समय पर निर्दिष्ट दर पर कर की कटौती की जाएगीं, जहाँ आपूर्ति का कुल मूल्य दो लाख और पचास हजार रुपये से अधिक होता है।

बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, पटना के अभिलेखों के नमूना जाँच में उद्घाटित हुआ (जनवरी 2021) कि करयोग्य वस्तु की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता (मार्च 2016) को ₹1.27 करोड़ का भुगतान करते समय ₹13.70 लाख की राशि के टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। उसी प्रकार, करयोग्य वस्तुओं की आपूर्ति के विरूद्ध तरफ आपूर्तिकर्ता को ₹2.36 करोड़ का

---

[35] ***अभियंत्रण महाविद्यालय*** *दरभंगा एवं रोहतास,* ***पॉलिटेक्निक संस्थान*** *भागलपुर, गया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पाटलीपुत्र पटना, सहरसा, सारण, शिवहर एवं महिला पॉलिटेक्निक फुलवारीशरीफ पटना।*

[36] *अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीवान, एवं पश्चिम चम्पारण।*

भुगतान करते समय (सितम्बर 2016 से मार्च 2017) शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, रोहतास द्वारा ₹18.64 लाख की राशि की टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी।

दोनों संस्थानों के प्राचार्य ने जवाब दिया (जनवरी/फरवरी 2021) कि टी.डी.एस. की कटौती जानकारी की कमी के कारण नहीं की गई थी।

➢ अग्रिम का अनियमित भुगतान

बिहार कोषागार संहिता, (बी.टी.सी.), 2011 के नियम 176 प्रावधान करता है कि किसी राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तत्काल भुगतान के लिए इसकी आवश्यकता न हो। बी.टी.सी. का नियम 177 यह प्रावधान करता है कि किसी राशि को बजट के व्यपगत होने से रोकने के लिए निकाला नहीं जायेगा। आगे, बिहार वित्तीय नियमावली (बी.एफ.आर.) 2005 के नियम 131(Q) प्रावधान करता है कि साधारणतः, आपूर्ति किये जाने के बाद ही भुगतान किया जाना चाहिए।

हालाँकि लेखापरीक्षा ने देखा कि

- उपरोक्त वर्णित नियमों का उल्लंघन करते हुए ₹23.86 करोड़ की लागत के साथ 12 अभियंत्रण महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए पूर्वनिर्मित पोर्टेबल केबिनों की आपूर्ति/निर्माण हेतु विभाग ने बी.पी.बी.सी.सी. को ₹16.20 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया (मार्च 2019)।
- विभाग ने उपरोक्त वर्णित नियमों के उल्लंघन में 19 अभियंत्रण महाविद्यालयों को कम्प्यूटरों एवं प्रिन्टरों इत्यादि की आपूर्ति हेतु अग्रिम बीजक चालान के विरूद्ध बेल्ट्रॉन को सौ *प्रतिशत* अग्रिम के रूप में ₹8.15 करोड़ का भुगतान किया (जुलाई 2019)। अग्रिम भुगतान के बावजूद बेल्ट्रॉन ने अग्रिम का उपयोगीकरण समर्पित नहीं किया था।

4.3 संस्थानों की स्थापना

योजना के अंतर्गत, अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को उपयुक्त भूमि के अधिग्रहण और उस पर भवन निर्माण के जरिए स्थापित किया जाना था।

4.3.1 भूमि के अधिग्रहण में विसंगतियाँ

भूमि के अधिग्रहण और उस पर भवन निर्माण में, लेखापरीक्षा ने देखा कि दो संस्थानों के लिए अधिग्रहित भूमि में समस्याएं थीः

- बिहार भवन उपनियम, 2016 की धारा 22(2) में प्रावधान करता है कि नदी क्षेत्र की बाहरी सीमा से 100 मीटर पट्टी के भीतर कोई भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग के अभिलेखों के नमूना–जाँच में उद्घाटित हुआ (अक्टूबर 2020) कि विभाग ने ₹36.35 करोड़ की लागत पर राजकीय पॉलिटेक्निक, जहानाबाद के भवन निर्माण के लिए एक प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (जनवरी 2019)। हालाँकि, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, जहानाबाद ने पाया (अप्रैल 2019) कि प्रस्तावित स्थल निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं था। मुख्य वास्तुविद, बी.सी.डी. ने निर्माण हेतु स्थल को अनुपयुक्त घोषित किया एवं जिलाधिकारी, जहानाबाद से वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (अप्रैल 2019)। तदनुसार, भूमि का आवंटन बदला गया था और विभाग ने बी.सी.डी. को तदनुसार सूचित किया (फरवरी 2021)। इसके आगे की सूचना अभिलेख में नहीं पाई गई।

इस प्रकार, अनुपयुक्त भूमि के चयन के कारण, निर्माण कार्य मार्च 2021 में योजना समाप्ति के बाद भी शुरू नहीं हुआ था। 2019–20 से, राजकीय पॉलिटेक्निक, जहानाबाद पॉलिटेक्निक पाटलीपुत्र, पटना के परिसर से चल रहा था।

- जहानाबाद में एक अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण हेतु, 7.5 एकड़ की भूमि बिना किसी मूल्य के विभाग को हस्तांतरित किया गया (मार्च 2019)। एक त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण समिति[37] ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया (नवंबर 2018) कि प्रस्तावित स्थल राजमार्ग से 125 मीटर दूर था और अतिरिक्त 12000 वर्ग फीट भूमि पहुँच पथ के लिए अपेक्षित होगा। यद्यपि, विभाग ने पहुँच पथ के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना निर्माण हेतु ₹73.13 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी 2019)।

  भवन का निर्माण पूरा किया गया (मई 2021) लेकिन बिना पहुँच पथ के। इसे स्वयं अक्टूबर 2020 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। हालाँकि, विभाग ने जनवरी 2022 में पहुँच पथ के लिए 60.97 डिसमिल (26,556 वर्ग फीट) भूमि के अधिग्रहण हेतु जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को एक पत्र निर्गत किया।

इस प्रकार, पहुँच पथ के लिए भूमि के समय से अधिग्रहण के अनुपस्थिति में, निर्मित भवन और इसके विरूद्ध व्यय (₹ 79.29 करोड़) मई 2021 से व्यर्थ हो गया। वर्ष 2019–20 से, अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद अभियंत्रण महाविद्यालय, गया के परिसर से चल रहा था (फरवरी 2022)।

4.3.2 निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं किया जाना

ए.बी.ए.पी. के अंतर्गत, 31 अभियंत्रण महाविद्यालयों (25 नए और छह पूर्व स्वीकृत) और 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों (11 नए और चार पूर्व स्वीकृत) के भवनों का 2016–21 की अवधि के दौरान निर्माण किया जाना था।

पूर्व स्वीकृत और नये स्वीकृत संस्थानों के लिए भवनों के निर्माण की समाप्ति का लक्ष्य क्रमशः तीन और दो वर्ष था। इस प्रकार, सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के भवनों का निर्माण वर्ष 2020–21 तक पूर्ण कर लिया जाना था। हालाँकि, 31 अभियंत्रण महाविद्यालयों में से 14[38] और 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों में से चार[39] के भवनों को मार्च 2021 में योजना के समाप्त होने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। यहाँ तक की नौ[40] अभियंत्रण महाविद्यालयों और चार पॉलिटेक्निक संस्थानों के भवनों को अब तक पूरा नहीं किया गया था (फरवरी 2022)।

उपयुक्त भूमि की विलंबित उपलब्धता साथ ही साथ निर्माण कार्य के निष्पादन में विलंब भवनों के निर्माण के समापन में विलंब के लिए जिम्मेदार था। इसने इन संस्थानों में नामांकित विद्यार्थियों को उचित आधारिक संरचना/सुविधाओं से वंचित किया।

4.3.3. परिहार्य व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 126 प्रावधान करता है कि वित्तीय शक्तियों के साथ प्रत्यायोजित प्राधिकरण के पास लोक प्राप्ति में दक्षता, मितव्ययता और पारदर्शिता लाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही है। यह आपूर्तिकर्ता का उचित और न्यायसंगत

---

[37] *जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के प्रतिनिधि, विशेष कार्य पदाधिकारी, अभियंत्रण महाविद्यालय, गया और प्राचार्य पॉलिटेक्निक संस्थान टेकारी, गया शामिल हैं।*

[38] *अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीवान और वैशाली।*

[39] *अरवल, भोजपुर, जहानाबाद एवं पश्चिम चम्पारण।*

[40] *भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीवान और वैशाली।*

व्यवहार और प्रतिस्पर्धा का सवर्धन भी प्रावधानित करता है। आगे, नियम 131 (R) में प्रदत्त है कि सभी सरकारी क्रय राशि के सर्वोतम मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, प्रतियोगी और उचित तरीके से किये जाने चाहिए एवं नियम 131 (H) अनुमानित मूल्य ₹25.00 लाख और अधिक के वस्तुओं के आपूर्ति के लिए विज्ञापन द्वारा निविदाओं के आमत्रंण के लिए उपबंधित करता है। और, नियम 202 (4) प्रदत्त करता है कि ₹10 लाख से अधिक लागत का अनुमानित कार्य भवन निर्माण विभाग के साथ परामर्श के बाद एक लोक निर्माण संगठन से कराया जा सकता है।

विभाग के अभिलेखों के नमूना–जाँच में उद्घाटित हुआ (अक्टूबर 2020) कि विभाग ने तेरह[41] संस्थानों के लिए कक्षा, कर्मचारी कक्ष, प्रयोगशाला और पुस्तकालय हेतु पूर्वनिर्मित पोर्टेबल केबिनों के निर्माण का निर्णय लिया (फरवरी 2019)। कार्य को विभाग से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर वित्त विभाग, बि.स. द्वारा ₹26.43 करोड़ के लिए स्वीकृत किया गया (फरवरी एवं अगस्त 2019) कि पोर्टेबल केबिनों को शीघ्रता से स्थापित किया जा सकता है जबकि स्थायी भवनों के निर्माण में और दो वर्ष लगेंगे। कार्य को बिना निविदा आमंत्रित किए बी.पी.बी.सी.सी. को आवंटित किया गया (फरवरी/अगस्त 2019)। बी.पी.बी. सी.सी. निर्माण कार्य के लिए संवेदक शुल्क[42] वसूल करता है जबकि सरकारी भवनों के निर्माण के लिए जिम्मेवार बी.सी.डी. संवेदक शुल्क नहीं लेता है। ए.बी.ए.पी. के अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निक संस्थानों के भवनों के निर्माण कार्यों को बी.सी. डी. को सौपा गया। लेकिन, वहनीय केबिनों का निर्माण कार्य न तो बी.सी.डी. को सौपा गया और न ही बी.सी.डी. से परामर्श प्राप्त किया और कार्य को बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में बी.पी.बी.सी.सी. को आवंटित किया गया। इस प्रकार, विभाग को आवंटित कार्य के लिए बी.पी.बी.सी.सी. को संवेदक प्रभार (शुल्क) के रूप में ₹1.50 करोड़ का भुगतान करना होगा। ₹1.50 करोड़ एजेन्सी शुल्क में से, ₹ 6.32 करोड़ के निष्पादित कार्य के विरूद्ध बी.पी.बी.सी.सी. द्वारा ₹0.41 करोड़ समायोजित किया गया (फरवरी 2022)।

यह अवलोकन किया गया कि कुल 13 संस्थानों में से, केवल दो संस्थानों (महिला पॉलिटेक्निक, फुलवारीशरीफ, पटना और पाटलीपुत्रा, पटना) में पूरा कार्य किया गया, दो संस्थानों (अभियंत्रण महाविद्यालय, रोहतास और पॉलिटेक्निक संस्थान, मधेपुरा) में निरस्त हुआ तथा शेष नौ संस्थानों में यह प्रक्रियाधीन था (जनवरी 2022)।

इस प्रकार, विभाग निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करने में जहाँ विफल रहा, वहीं बगैर निविदा आमंत्रित किए बी.पी.बी.सी.सी. के चयन के परिणामस्वरूप ₹0.41 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ और छः महीनों की निर्धारित अवधि के साथ स्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य की गैर–समाप्ति हुई।

4.3.4 निष्फल व्यय

ए.आई.सी.टी.ई. अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक (ए.पी.एच.) (परिशिष्ट 17.1.29) 2015–16 उपबंधित करता है कि नए तकनीकी संस्थान का अनुमोदन मांगने वाले आवेदक को एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कोई भी हाईटेंशन लाईन छात्रावास सहित परिसर से गुजर नहीं रहा था। परिसर/छात्रावास से हाई टेंशन लाईन गुजरने वाले मामलों में सक्षम प्राधिकरण (विद्युत बोर्ड) से एक प्रमाण–पत्र अपेक्षित था कि यह भवन/छात्रों/संकाय/कर्मियों आदि की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेगा।

---

[41] ***अभियंत्रण महाविद्यालय***– *दरभंगा, मोतीहारी एवं रोहतास, पॉलिटेक्निक संस्थान–भागलपुर, छपरा, गया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पाटलीपुत्र पटना, सहरसा, शिवहर, एवं महिला पॉलिटेक्नीक फुलवारीशरीफ पटना।*

[42] *एजेन्सी शुल्क@7 प्रतिशत ₹10 करोड़ तक और 5 प्रतिशत ₹10 करोड़ से अधिक के लिए।*

विभाग के अभिलेखों के नमूना–जाँच में उद्घाटित हुआ (सितम्बर 2020) कि शेखपुरा में पॉलिटेक्निक संथान के लिए भवन के निर्माण हेतु, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित (जनवरी 2014) एक त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण समिति[43] ने निर्माण स्थान से हाई टेंशन लाईन के अस्तित्व का उल्लेख किए बिना अपना प्रतिवेदन समर्पित किया (सितम्बर 2014) एवं इसे उपयुक्त घोषित किया। विभाग ने भवन का विन्यास योजना के साथ तकनीकी अनुमोदित आकलन प्रदान करने के लिए भवन निर्माण विभाग को एक पत्र निर्गत किया (फरवरी 2015)। भवन निर्माण विभाग ने हाई टेंशन लाईन के अस्तित्व को चित्रित करते हुए निर्माण स्थल नक्शा के साथ अनुमोदन के लिए विभाग को विन्यास योजना प्रस्तुत किया (अप्रैल 2015)। विभाग ने भवन निर्माण विभाग द्वारा जमा किए गए विन्यास योजना को इस शर्त के साथ ₹42.55 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया (जुलाई 2015) कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले हाईटेंशन लाईन को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

आगे यह अवलोकन किया गया कि विभाग ने न तो निर्माण कार्य शुरू होने (सितम्बर 2016) से पहले हाई टेंशन लाईन का स्थानांतरित करना सुनिश्चित किया और न ही वह बिजली बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर सका। इस दौरान निर्माण कार्य ₹48.70 करोड़ की लागत पर पूरा किया जा चुका था (अगस्त 2018) परन्तु उसे सौंपा नहीं गया और हाई टेंशन लाईन के गैर–स्थानांतरण के कारण रिक्त रहा जिससे ₹36 करोड़ का एक अतिरिक्त व्यय आएगा।

विकल्प के रूप में, भवन को प्रयोज्य बनाने हेतु, यह निर्णय लिया गया (दिसम्बर 2021) कि भवन के वर्त्तमान मुख्य द्वार को बंद किया जाएगा, चाहरदीवारी को ट्रांसमिशन लाइन के समानांतर बनाया जाएगा तथा बालिका छात्रावास एवं सिक रूम को बंद किया जाएगा। तदनुसार, ₹59.40 लाख की एक राशि फरवरी 2022 में स्वीकृत की गई।

इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने में विभाग विफल रहा कि कोई हाई टेंशन लाईन ए.आई.सी.टी.ई. के ए.पी.एच. के प्रावधानों के साथ अनुपालन में छात्रावास सहित परिसर से गुजर रहा था परिणामतः, ₹48.70 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ चूंकी निर्मित भवन इसके पूर्ण होने (अगस्त 2018) के बाद भी उपयोग में नहीं लाया जा सका और खाली रहा (फरवरी 2022)। संस्थान में नामांकित विद्यार्थी उद्दिष्ट शैक्षणिक लाभों से वंचित थे क्योंकि संस्थान पॉलिटेक्निक संस्थान, लखीसराय के परिसर से अभी भी चल रहा था।

• *पट्टे पर ली गई अनुपयुक्त भूमि*

विभाग के अभिलेखों के नमूना–जाँच में उद्घाटित हुआ (अक्टूबर 2020) कि सात एकड़ और 53.5 डिसमिल की भूमि शिवहर जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण के लिए पट्टे पर लिये जाने हेतु चिन्हित की गई। एक त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण समिति[44] ने निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल उपयुक्त प्रतिवेदित किया (जून 2017) और उल्लेख किया कि कोई हाईटेंशन लाइन भूमि से होते हुए नहीं गुजर रही थी। उपयुक्तता प्रतिवेदन के आधार पर, भूमि को ₹2.92 करोड़ (दिसंबर 2017) की लागत पर पट्टे पर अधिग्रहित किया गया और भवन निर्माण हेतु ₹73.13 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (जुलाई 2018)। निर्माण कार्य दो वर्ष के भीतर यानी जून 2020 तक पूरा किया जाना था।

---

[43] *अपर–समहर्ता शेखपुरा, प्राचार्य, नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय चंडी और प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, बरौनी शामिल हैं।*

[44] *अपर–समाहर्ता शिवहर, प्राचार्य अभियंत्रण महाविद्यालय सीतामढ़ी और प्राचार्य, बदीउज्जमा खान राजकीय पॉलिटेक्नीक संस्थान, सीतामढ़ी सम्मिलित है।*

यह देखा गया कि मुख्य वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्गत विन्यास योजना (जनवरी 2019) में भूमि के ऊपर से एक हाई टेंशन लाईन गुजर रहा था। विभाग ने सशर्त स्वीकृति प्रदान किया (फरवरी 2019) की कोई निर्माण कार्य हाई टेंशन लाईन को स्थानांतरित करने के पहले शुरू नहीं होगा। यद्यपि, कार्य शुरू किया गया (दिसंबर 2020) और कार्य का 50 *प्रतिशत* हाई टेंशन लाईन को स्थानांतरित किए बिना पूरा किया गया (फरवरी 2022)।

इस प्रकार, अनुपयुक्त भूमि के चयन के कारण और हाई टेंशन लाईन के स्थानांतरण सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप मार्च 2021 में योजना समाप्ति के बाद भी भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ। 2019–20 से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, शिवहर मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी के परिसर से चल रहा था।

4.4 मानवबल प्रबंधन

ए.आई.सी.टी.ई., ए.पी.एच., 2016–17 के अध्याय I (8.1) में प्रावधान है कि किसी भी परिस्थिति में, जब तक कि सभी शिक्षण एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती, संस्थान कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगें। अध्याय 6.7 और 6.8 में प्रावधान है कि तकनीकी संस्थान डिप्लोमा/पूर्वस्नातक स्तर पर संकाय की मांग और संवर्ग अनुपात के मानदंडों का पालन करेंगें। पूर्वस्नातक स्तर और डिप्लोमा स्तर के लिए संकाय–छात्र अनुपात वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए क्रमशः 1:15 और 1:20 था जिसे आगे वर्ष 2018–19 से क्रमशः 1:20 और 1:25 में संशोधित किया गया।

अवसर बढ़े आगे पढ़े के अंतर्गत स्थापित संस्थानों के संबंध में, 31 अभियंत्रण महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों में 90 *प्रतिशत* की कमी और गैर–शिक्षण कर्मचारियों में 98 *प्रतिशत* की कमी थी, जबकि, 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षण कर्मचारियों में 80 *प्रतिशत* और गैर–शिक्षण कर्मचारियों में 96 *प्रतिशत* की कमी थी (फरवरी 2022) जैसा ***परिशिष्ट–4.2*** में विस्तृत है।

नमूना–जाँचित महाविद्यालयों/संस्थानों में, शिक्षण तथा गैर–शिक्षण कर्मचारियों की स्थिति नीचे तालिका 4.2 में विस्तृत है:

तालिका सं.–4.2
शिक्षण तथा गैर–शिक्षण कर्मचारियों की कमी

क्र. सं.	अभियंत्रण महाविद्यालय/ पॉलिटेक्निक संस्थान का नाम	शिक्षण			गैर–शिक्षण		
		स्वीकृत पद	कार्यरत बल (नियमित)	रिक्ति (*प्रतिशत*)	स्वीकृत पद	कार्यरत बल (नियमित)	रिक्ति (*प्रतिशत*)
1.	अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर	64	33	31 (48)	53	04	49 (92)
2.	अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर	77	05	72 (94)	50	00	50 (100)
3.	अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली	76	06	70 (92)	50	01	49 (98)
4.	अभियंत्रण महाविद्यालय, रोहतास	64	23	41 (64)	38	0	38 (100)
5.	अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय	64	19	45 (70)	77	10	67 (87)
6.	अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया	77	10	67 (87)	50	02	48 (96)
7.	पोलिटेक्निक संस्थान, समस्तीपुर	35	08	27 (77)	31	00	31 (100)
8.	पॉलिटेक्निक संस्थान, जहानाबाद	35	10	25 (71)	38	01	37 (97)
9.	पॉलिटेक्निक संस्थान, पश्चिमी चम्पारण	35	08	27 (77)	38	01	37 (97)

स्वीकृत कार्यबल के विरूद्ध शिक्षण कर्मचारी की वास्तविक कमी 48 से 92 *प्रतिशत* के बीच थी जबकि वह गैर–शिक्षण कर्मचारी के लिए 87 से 100 *प्रतिशत* के बीच थी।

बिहार लोक सेवा आयोग (बी.पी.एस.सी.) ने सितम्बर–अक्टूबर 2020 में शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया, जो अभी तक प्रक्रियाधीन था। गैर–शिक्षण कर्मचारियों (तकनीकी के साथ–साथ गैर–तकनीकी) की नियुक्ति के लिए माँग जनवरी से दिसम्बर 2021 के बीच बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बी.एस.एस.सी.) तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बी.टी.एस.सी) को भेजा गया था लेकिन बी.एस.एस.सी./बी.टी. एस.सी. द्वारा विज्ञापन प्रकाशित (फरवरी 2022) नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग अत्यधिक तथा सतत रिक्तियों के विरूद्ध शिक्षण के साथ–साथ गैर–शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर सका।

शिक्षण संकाय के साथ–साथ गैर–शिक्षण कर्मचारियों की अत्यधिक एवं निरंतर रहने वाली कमी तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और यह योजना की भावना के विरूद्ध है। इस प्रकार, लगभग बिना कर्मचारियों (शिक्षण एवं गैर–शिक्षण) के अभियंत्रण महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्थान की कार्य पद्धति सूचित करता है कि ये संस्थान/महाविद्यालय केवल कागज पर चल रहे थे और योजना के क्रियान्वयन में विभाग की विफलता को दर्शाते हैं।

4.5 सीटों का कम उपयोग

ए.आई.सी.टी.ई. ए.पी.एच. 2016–17 का अध्याय VI अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे तथा शिक्षण कर्मियों के संवर्ग अनुपात के लिए मानदंड निर्धारित करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016–17 से 2019–20 की अवधि के दौरान पूर्वस्नातक स्तर (अभियंत्रण महाविद्यालयों) की 13,680 सीटों में से 3,506 (26 *प्रतिशत*) को भरा नहीं जा सका, जबकि डिप्लोमा स्तर (पॉलिटेक्निक संस्थान) की 8,640 सीटों में से 642 (7 *प्रतिशत*) सीटों को भरा नहीं जा सका। सीटों की अन्तर्ग्रहण क्षमता का कम–उपयोग के कारण मानवबल, आधारभूत संरचना तथा सुविधाओं का अभाव था।

19[45] अभियंत्रण महाविद्यालयों में, जो अन्य संस्थानों के साथ जोड़ने के बाद 2019–20 से क्रियाशील किए गए थे, 4,560 सीटों में से 2,784 (61 *प्रतिशत*) सीटें रिक्त रह गईं।

सीटों के कम उपयोग के लिए आवश्यक मानव बल (शिक्षण के साथ–साथ गैर–शिक्षण कर्मचारियों) एवं आधारभूत संरचना/सुविधाओं के बिना संस्थान का स्थापना किया जाना जिम्मेदार था।

4.6 आधारभूत संरचना, उपकरण, सुविधाओं आदि का अभाव

ए.आई.सी.टी.ई. ए.पी.एच. 2016–17 के परिशिष्ट 4 एवं 5 के साथ पठित अध्याय VI तकनीकी संस्थानों के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना के न्यूनतम स्तर के संबंध में मानदंड निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा ने आधारभूत संरचना (कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि) में विशिष्ट कमियाँ तथा निर्धारित मानदंडों से विचलनों को पाया, जैसा कि नीचे वर्णित है:

[45] *अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान तथा पश्चिम चम्पारण।*

(क) भवनों की अनुपलब्धता

अपने भवन की अनुपलब्धता के कारण, सत्रह[46] अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा छः[47] पॉलिटेक्निक संस्थान अन्य संस्थानों के परिसर में, अपर्याप्त वर्ग कक्ष, प्रयोगशालाओं तथा छात्रावासों आदि (***परिशिष्ट–4.3***) के साथ चल रहे थे। सात मामलों में, तीन अभियंत्रण महाविद्यालय एक महाविद्यालय के परिसर में चल रहे थे विवरण नीचे **तालिका 4.3** में दिया गया है:

तालिका 4.3

समान परिसर में क्रियाशील तीन अभियंत्रण महाविद्यालय

क्र. सं.	संरक्षक महाविद्यालय का नाम	अन्य (संरक्षक) महाविद्यालय (संरक्षक महाविद्यालय से लगभग दूरी (कि.मी. में)) परिसर में कार्यशील थे
1	अभियंत्रण महाविद्यालय, नालंदा	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, शेखपुरा (70) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, नवादा (55)
2	अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतीहारी	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिमी चम्पारण (45) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, शिवहर (63)
3	अभियंत्रण महाविद्यालय, गया	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, औरंगाबाद (81) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद (50)
4	अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, किशनगंज (69) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया (136)
5	अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, मुंगेर (85) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, लखीसराय (30)
6	अभियंत्रण महाविद्यालय, छपरा	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, गोपालगंज (103) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, सिवान (67)
7	अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर (187) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर (109)

जैसा कि **तालिका 4.3** तथा ***परिशिष्ट 4.3*** में देखा गया कि सात पॉलिटेक्निक संस्थान तथा दो अभियंत्रण महाविद्यालय अन्य महाविद्यालय/संस्थान को समायोजित कर रहे थे, सात अभियंत्रण महाविद्यालय अपने परिसर में दो अन्य अभियंत्रण महाविद्यालयों को समायोजित कर रहे थे।

इस *निश्चय* के अंतर्गत, राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में तकनीकी तथा व्यावसायिक कौशल आधारित शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना था। यद्यपि, यदि महाविद्यालय/संस्थान को अपनी क्षमता से तीन गुना छात्रों को समायोजित करना है एवं जहाँ छात्रों को महाविद्यालय/संस्थान तक पहुँचने के लिए 30 कि.मी. से 187 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़े तो, हर जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य विफल हो जाता है।

(ख) छात्रावास सुविधाओं की अनुपलब्धता

- ए.आई.सी.टी.ई. ए.पी.एच. (परिशिष्ट 4.2.3) 2016–17 में छात्रों एवं छात्राओं के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधा का प्रावधान उपबंधित करता है, यद्यपि नौ[48] नमूना–जाँचित संस्थानों में से पाँच[49] के छात्रों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन पाँच में :–

---

[46] *औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, वैशाली तथा पश्चिम चम्पारण।*

[47] *अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, खगड़िया, शेखपुरा तथा पश्चिम चम्पारण।*

[48] *बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, वैशाली और पश्चिम चम्पारण।*

[49] *बख्तियारपुर, बेगूसराय, बक्सर, पूर्णियाँ, रोहतास तथा वैशाली के **अभियंत्रण महाविद्यालय** तथा जहानाबाद, समस्तीपुर तथा पश्चिम चम्पारण के **पॉलिटेक्निक संस्थान**।*

- अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर, अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर के परिसर से संचालित हो रहा था जो बक्सर के जिला मुख्यालय से 187 कि.मी. की दूरी पर स्थित था।
- अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली, पॉलिटेक्निक संस्थान, वैशाली के परिसर से संचालित हो रहा था।
- पश्चिम चम्पारण का पॉलिटेक्निक संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, मोतिहारी के परिसर से संचालित हो रहा था जो पश्चिम चम्पारण के जिला मुख्यालय से 45 कि.मी. दूर स्थित था।
- जहानाबाद का पॉलिटेक्निक संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, पाटलीपुत्रा पटना के परिसर से संचालित हो रहा था जो जहानाबाद के जिला मुख्यालय से 50 कि.मी. की दूरी पर स्थित था।

(ग) प्रयोगशालाओं का अभाव

ए.आई.सी.टी.ई. ए.पी.एच. (परिशिष्ट 4.2.1 (बी.) और 5.2) 2019–20 में प्रयोगशाला की न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकता के बारे में परिकल्पना करता है और प्रावधान करता है कि प्रयोगशालाओं के पास प्रयोग के लिए उतना उपयुक्त उपकरण होगा जैसा संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड के पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के लिए कहा गया/योग्य है।

यद्यपि, किसी भी नमूना–जाँचित संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उचित प्रयोगशाला नहीं थे (फरवरी 2022)। नौ नमूना–जाँचित संस्थानों में से चार[50] चिन्हित संस्थानों पर निर्भर थे।

- अभियंत्रण महाविद्यालय, पूणियाँ में आवश्यक 75 प्रयोगशालाओं में से केवल 44 उपलब्ध थी।
- अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर में सिविल तथा मैकेनिकल शाखाओं में चार सेमेस्टरों के लिए, इलेक्ट्रिकल शाखा में तीन सेमेस्टरों के लिए तथा कम्प्यूटर विज्ञान शाखा में दो सेमेस्टरों के लिए प्रयोगशालाएँ उपलब्ध नहीं थी।
- पॉलिटेक्निक संस्थान, समस्तीपुर में, आवश्यक 62 प्रयोगशालाओं में से केवल 53 ही उपलब्ध थी। यद्यपि, केवल 37 प्रयोगशालाएँ ही क्रियाशील थीं।
- अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय में, कम्प्यूटर विज्ञान अभियंत्रण के लिए आवश्यक 23 प्रयोगशालाओं में से केवल 15 उपलब्ध थी।
- अभियंत्रण महाविद्यालय, रोहतास में, आवश्यक 62 प्रयोगशालाओं में से 54 उपलब्ध थी।

(घ) ए.आई.सी.टी.ई. ए.पी.एच. (परिशिष्ट 6.1.13) 2019–20 परिकल्पना करता है कि इंटर्नशिप के लिए विभिन्न उद्योगों से कम से कम पाँच समझौता ज्ञापन होने चाहिए। यद्यपि नौ नमूना–जाँचित संस्थानों में से छः[51] संस्थानों ने ऐसा कोई समझौता ज्ञापन नहीं किया।

अपर्याप्त आधारभूत संरचना ने इस प्रकार दयनीय शिक्षा के माहौल का सृजन किया तथा राज्य में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

4.7 अनुश्रवण तंत्र

योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त तथा प्रभावशाली अनुश्रवण तंत्र आवश्यक है। यह पर्यवेक्षण अधिकारियों को योजना के बेहतर प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु सक्षम बनाता है।

---

[50] *बक्सर, जहानाबाद, वैशाली तथा पश्चिम चम्पारण।*

[51] *बख्तियारपुर, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, समस्तीपुर तथा वैशाली।*

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2020) कि विभाग के पास योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई एम.आई.एस. प्रणाली, राज्य स्तरीय अनुश्रवण इकाई, आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, शिकायत निवारण कक्ष के साथ–साथ आवधिक मूल्यांकन तंत्र नहीं थे। नमूना–जाँचित संस्थानों के प्राचार्यों ने जवाब दिया (जनवरी–मार्च 2021) कि संस्थान के स्तर पर प्रगति कार्य के अनुश्रवण के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था और न तो कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था और न ही विभाग तथा बी.सी.डी. के अधिकारियों द्वारा कोई संयुक्त निरीक्षण/सत्यापन किया गया था।

परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा वांछित अनुश्रवण लागू नहीं किया गया तथा अनुश्रवण के अभाव में अनुपयुक्त भूमि का चयन किया गया, पोर्टेवल केबिनों का निर्माण नहीं किया गया और पर्याप्त प्रयोगशालाएँ उपलब्ध नहीं थी।

4.8 निष्कर्ष

अवसर बढ़े आगे पढ़े (ए.बी.ए.पी.) बिहार में तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए *सात निश्चय* में से एक था तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसके तत्वावधान में विभिन्न संस्थानों के निर्माण तथा स्थापना के माध्यम से इसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी था। विभाग ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानदंडों के विरूद्ध शिक्षण कर्मचारियों की अत्यधिक कमी तथा गैर–शिक्षण कर्मचारियों की लगभग अनुपलब्धता के कारण योजना का उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं कर सका जिससे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता था। भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, अनुपयुक्त भूमि का अधिग्रहण, बी.सी.डी. द्वारा भवनों का गैर/विलम्बित निर्माण, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, उपकरण सुविधाओं आदि के कारण योजना का उद्देश्य विफल रहा। पुनः, विभाग के प्रभावी अनुश्रवण तंत्र के अभाव के कारण, अनुपयुक्त भूमि का चयन किया गया था, भवनों/पोर्टेबल केबिनों का निर्माण नहीं किया गया तथा पर्याप्त प्रयोगशालाएँ उपलब्ध नहीं थी। महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा छात्रों को उनकी क्षमता से तीन गुना समायोजित करने तथा महाविद्यालय/संस्थानों तक पहुँचने के लिए छात्रों को 30 कि.मी. से 187 कि.मी. की दूरी तय करने के साथ, प्रत्येक जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना के निश्चय का उद्देश्य विफल है। पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी गुणवत्ता पूर्ण तकनीकी एवं कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के निश्चय का अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार को मामला प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2020)। स्मार के बावजूद, जवाब अभी भी प्रतीक्षित है (अप्रैल 2022)।